गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ0ग0)
GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CG)
(A Central University established by the central University Act.2009 No. 25 of 2009)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 नं. 25 के अन्तर्गत स्थापित)

क्रमांक 469 / विकास / 2023

बिलासपुर, दिनांकः– 21/12/23

प्रति,

समस्त अधिष्ठातागण
समस्त विभागाध्यक्षगण
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :– यू.जी.सी.–डी.बी.टी. (केनरा बैंक) से फेलोशिप प्राप्त कर रहे है शोधार्थियो का आकस्मिक व्यय भुगतान बाबत्।

महोदय / महोदया,

उक्त विषयान्तर्गत सूचित करना है कि विश्वविद्यालय में शोधरत् यू.जी.सी.–जे.आर.एफ, एन.एफ.ओ.बी.सी, एन.एफ.एस.सी, एन.एफ.एस.टी, सिंगल गर्ल चाइल्ड एवं अन्य अवॉर्ड शोधार्थियों का निरन्तरता प्रमाणपत्र, गृहभाड़ा भत्ता एवं आकस्मिक व्यय संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 1 से 8 के मध्य प्रति माह यू.जी.सी.–डी.बी.टी. पोर्टल पर मेकर / चेकर द्वारा अपलोड किया जाता है। इस संदर्भ मे विकास विभाग द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उपर्युक्त शोधार्थियो द्वारा निर्धारित समयावधि में आकस्मिक व्यय प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु नस्ती समय पर प्रस्तुत नही की जा रही है एवं कई शोधार्थियों ने 1 से 2 साल तक का आकस्मिक व्यय अपलोड करने हेतु प्रस्तुत नही किये है एवं 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर यू.जी.सी.–डी.बी.टी. पोर्टल में संबंधित लिंक डिसएबल हो जाता है जिससे संबंधित शोधार्थियों को अनावश्यक आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है।

अतः समस्त अधिष्ठाताओं, विभागाध्यक्षों, से निवेदन है कि आपके विभाग में शोधरत् सभी संबंधित शोधार्थियों को निर्देशित / आदेशित करना चाहे कि तीन माह की अवधि व्यतीत हो जाने पर शीघ्र ही नस्ती वित्त विभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करें ताकि दिनांक 1 से 8 के मध्य प्रतिमाह सक्षम अनुमोदन के पश्चात् आकस्मिक व्यय प्रमाण पत्र पोर्टल में अपलोड किया जा सकें। यह भी निवेदन है कि आपके विभाग में जितने पंजीकृत शोध निर्देशक / गाइड है उन्हें भी इसकी सूचना देना चाहे ताकि वे अपने अधीनस्थ शोधार्थियों को निर्धारित समयावधि में आकस्मिक व्यय संबंधित नस्ती प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित करें।

यदि कोई शोधार्थी निर्धारित समयावधि में आकस्मिक व्यय भुगतान हेतु नस्ती प्रस्तुत नहीं करता एवं यू.जी.सी.–डी.बी.टी. पोर्टल से लिंक डिसएबल होने की स्थिति में शोधार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

आदेशानुसार,

20/12/23

कुलसचिव (कार्यवाहक)

प्रतिलिपिः–

1. कुलपति के सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाइड को इस आशय के साथ अग्रेषित है कि इस पत्र को सभी के सूचनार्थ को विश्वविद्यालय पोर्टल में अपलोड की जाये।
3. कार्यालय प्रति।

सहायक कुलसचिव (विकास विभाग)